**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1237**
**दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**पुलिस बल में महिला कर्मी**

**†1237. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) देश में पुलिस बलों में महिला कर्मियो की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;**
**(ख) सरकार द्वारा पुलिस बलों में विशेषकर नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और**
**(ग) क्या महिलाओं को पुलिस बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क): पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), गृह मंत्रालय द्वारा संकलित पुलिस संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों में महिला पुलिस कार्मिकों की वास्तविक संख्या का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): "पुलिस" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के तहत राज्य का विषय है। और अधिक महिला कार्मिकों की भर्ती करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। केंद्र, पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी भी जारी करता है। गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर कुल नफरी का 33% करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021, 13.04.2022, 27.04.2023 और 05.12.2023 को एडवाइजरी जारी की हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे

**लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 1237, दिनांक 03.12.2024**

कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करें। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला उप-निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होनी चाहिएं, ताकि महिला हेल्प-डेस्क चौबीसों घंटे काम कर सके।

"पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती का ब्योरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

*******

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1237, दिनांक: 03.12.2024**

**अनुलग्नक**

**दिनांक 01.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार, पुलिस बलों में महिला पुलिस कार्मिकों की वास्तविक संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **महिला पुलिस कार्मिकों की वास्तविक संख्या (सिविल + जिला सशस्त्र रिजर्व + सशस्त्र + आईआरबी)** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18,913 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1,345 |
| 3. | असम | 4,894 |
| 4. | बिहार | 24,295 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 4,903 |
| 6. | गोवा | 842 |
| 7. | गुजरात | 14,745 |
| 8. | हरियाणा | 5,506 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2,593 |
| 10. | झारखंड | 4,611 |
| 11. | कर्नाटक | 9,081 |
| 12. | केरल | 4,472 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 7,452 |
| 14. | महाराष्ट्र | 32,172 |
| 15. | मणिपुर | 1,957 |
| 16. | मेघालय | 818 |
| 17. | मिजोरम | 602 |
| 18. | नागालैंड | 2,588 |
| 19. | ओडिशा | 6,108 |
| 20. | पंजाब | 8,167 |
| 21. | राजस्थान | 10,361 |
| 22. | सिक्किम | 470 |
| 23. | तमिलनाडु | 25,334 |
| 24. | तेलंगाना | 5,351 |
| 25. | त्रिपुरा | 1,306 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 33,319 |
| 27. | उत्तराखंड | 2,609 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 9,603 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 543 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1,327 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 104 |
| 32. | दिल्ली | 11,930 |
| 33. | जम्मू और कश्मीर | 4,370 |
| 34. | लद्दाख | 777 |
| 35. | लक्षद्वीप | 26 |
| 36. | पुदुचेरी | 268 |
| | **अखिल भारत** | **2,63,762** |

स्रोत: बीपीआरएंडडी

* * * * *